न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 34/24 GCMS NO 2024/79

1. शंकर सिह पुत्र भैरो सिह
2. शिवदान सिह पुत्र भैरो सिह
3. मदनमोहन पुत्र बाबू सिह सभी जाति राजपूत निवासीयान फतेहपुर तहसील सपोटरा

अपीलांट

बनाम

1. माधोसिह पुत्र इन्दर सिह
2. भरत सिह पुत्र दशरथ सिह
3. अवधेश सिह पुत्र बाबू सिह सभी जाति राजपूत निवासीयान फतेहपुर तहसील सपोटरा
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 28/16 निर्णय दिनांक 8.5.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम प्रकाश गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कोई उपस्थित नही

दिनांक 17.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 8.5.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व उसके परिवार की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 41 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा , 65 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 84 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 116 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 132 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, 136 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 212 रकबा 4 बीघा , 230 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। ख0न0 230 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा पारिवारिक सांमजस्य मुझ सायल न0 1 के हिस्से मे है जिससे गैरसायलान का दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। गैरसायलान सायल की उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्वेश्य से आये दिन विवाद करते रहते है तथा फसल काश्त करने मे बाधा रूकावट पैदा करते है। गैरसायलान अपने अनाधिकृत कृत्य मे सफल हो जाते है एवं सायल को जबरन ताकत के बल पर भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो सायलान के खातेदारी हक हकूको पर गहरा आघात लगेगा एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि सायलान के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 230 रकबा 2 बीघा ... फतेहपुर तहसील सपोटरा मे सायलान के कब्जे काश्त, फसलकाश्त मे किसी प्रकार की ... एवं बाधा रूकावट तथा किसी प्रकार का कब्जा नही करे ना ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे एवं सायलान को ...क फसल काश्त का लाभ प्राप्त करने देवे। इस प्रकार का इस्तदुआ अधिनस्थ न्या... से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर गेरसायलान/अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बावजूद तामिल मे उपस्थिति नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश जैर अपील कानून के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट के पिता भैरो सिह को सबिक खातेदार फूलसिह ने सम्वत 1987 मे विवादित आराजी ख0न0 230 को गिरवी रखकर हमारे बुजुर्ग भैरो सिह का कब्जा आराजी पर करा दिया तब से आज तक इस आराजी पर हमारा कब्जा चला आ रहा है तथा रहन रखने बाबत एक किता तहरीर भी साबिक खातेदार श्याम सिह द्वारा भैरोसिह के हक मे तहरीर तकमील करवाकर दे दी। जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलांट के विवादित आराजी पर योम रहन से लगातार बिना किसी रोक टोक के आपनली होस्टाईली व एडवर्सली काबिज चले आ रहे है। जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। फूलसिह के फौत होने पर विवादित आराजी की खातेदारी घनश्याम सिह पुत्र फूलसिह के नाम हो गई। लेकिन मेरे पिता वतौर मुर्तहीन काबिज रहे। रेवेन्यू कागजात मे भी भैरू सिह के नाम के मुर्तहीन के इन्द्राज बदस्तूर चलते रहे। जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया। विवादित भूमि के सबंध मे सहायक कलेक्टर सपोटरा मे मुझ शिवसिह के खिलाफ बाबू सिह,माधोसिह,गिरवर सिह वगै0 ने दावा उनवानी बाबू सिह बनाम शिवदान सिह मु0न0 59/2000 धारा 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया था जिसमे मुझ शिवदान सिह द्वारा जबाब दावा पेश किया था। जो दिनांक 13.8.02 को खारिज हो चुका है। जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की कोई विवेचना अदालत मातहत ने नही की है। अपीलांट विवादित आराजी पर 12 साल से अधिक समय से बतौर हक काबिज चले आ रहे है और समस्त खातेदारी हम अपीलांट मे वेस्ट हो चुकी है। जिस पर भी अदालत मातहत ने गौर नही किया है। विवादित आराजी पर रेस्पो0 के कोई खातेदारी हकूक नही है ना ही रेस्पो0 काबिज है। राजस्व रिकार्ड मे गलत खातेदारी इन्द्राज की आड मे हमे जमीन से बेदखल करना चाहते है। जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। विवादित जमीन के कोसेयरर इन्दर सिह की लडकी विमला ,मुन्नी , छोटा व लडका बाबू सिह जीवित है उनको रेस्पो0 सायलान ने पक्षकार नही बनाया। जिस पर भी अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अतःअपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 41 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा , 65 रकबा [illegible] बिस्वा, 84 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 116 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 132 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, 136 [illegible] बीघा 10 विस्वा, 212 रकबा 4 बीघा , 230 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कुल [illegible] बीघा [illegible] विस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा सायलान एवं गैरसायलान की [illegible]री मे दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबंदी सम्वत 2069–72 से स्पष्ट है। विवादित आराजीयात [illegible]बत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible] माधोपुर

Scanned with CamScanner

विचाराधीन है। पक्षकारो के मध्य मुख्य विवाद आराजी ख0न0 230 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा को लेकर है। यदि सायल/रेस्पो0 को ख0न0 230 के अलावा अन्य सहखातेदारी आराजीयात के बाबत गैरसायलान/अपीलांट द्वारा उसके अधिकारो से वंचित किया जाता तो सायलान/रेस्पो0 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ मे अन्य खसरा न0 के बाबत भी अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जाती। सायलान/रेस्पो0 को केवल मात्र खसरा न0 230 के बाबत अपीलांट/गैरसायलान द्वारा मजाहमत किये जाने के कारण ही केवल मात्र ख0न0 230 के बाबत ही अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीयात हिस्से एवं अधिकार अधिनस्थ मे विचाराधीन दावे मे तय किया जाना शेष है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 28/16 मे पारित निर्णय दिनांक 8.5.2024 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner